

# प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उन्नीस'

[20/7/2017]

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी

प्रपत्र - अ

विधानसभा तारीकित प्रश्न क्रमांक 1227 द्वारा माननीय विधायक श्री रजनीश सिंह वर्तमान में केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित रेत खदानों की जानकारी

क्र. जिला	तहसील	केवलारी विधान सभा अंतर्गत ग्राम का नाम जिसके अंतर्गत रेत खदान स्थित होकर संचालित है	रेत खदान के स्थल का नाम	स्थीकृत रक्का क्रमांक	खसरा कमांक	स्थीकृत रेकेदार का नाम	यदि खदान दिनांक 01.01.2015 के पश्चात प्रश्न दिनांक 29.6.2017 की अवधि के मध्य आवटित हुयी है तो खदान की वार्षिक ठेकारणी	यदि खदान दिनांक 01.01.2015 से प्रश्न दिनांक 29.6.2017 तक प्राप्त वर्ष द्वारा राजस्व आय (कर्त्त्ये में)	प्रश्न				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									31.12.15	31.12.16	29.6.17	1227	
1	सिवनी केवलारी खुरसीपार	खुरसीपार	खुरसीपार है 0	6.00	27.5.15 से 131.3.20	मौर महिला रेत कंपनी माडला	2,32,59,000.00	—	58,14,750.00	2,32,59,000.00	1,16,29,500.00	पूरक जानकारी	

केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स मेन्टेना इन्फा. कंपनी हाल कैम्प हथनापुर तहसील सिवनी को सिवनी जिले में पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम नसीपुर, तहसील केवलारी स्थित शासकीय भूमि खोनं 313 का रकबा 5.00 हे 0 क्षेत्र पर अस्थाई अनुज्ञा खनिज रेत हेतु दिनांक 30.6.2018 तक जारी की गई है। जिसमें अनुज्ञाधारी द्वारा रायलटी राशि 44,00,000.00 रु (रु० चौवालीस लाख मात्र) जाना विद्या गया है।

  
अनुभव शासकीय  
महानगरपाली शासन,  
खनिज साधन विभाग

  
सहायक खनिज अधिकारी  
खनिज शासन विभाग

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी

प्रपत्र - ब

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1227 द्वारा माननीय विधायक श्री रजनीश सिंह

केवलारी विधान सभा क्षेत्र में रेत उत्थनन किये जाने संबंधी जन प्रतिनिधियों से दिनांक 1.1.2015 से 29.6.2017 तक प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाही की जानकारी

क्रम	जनप्रतिनिधि का नाम व पदनाम	केवलारी विधानसभा क्षेत्र में अवैध उत्थनन किये जाने सदृशी प्राप्त शिकायत का दिनांक	शिकायत का विवरण संक्षेप में	प्राप्त शिकायत पर कब-कब, क्या-क्या का जवाही की गयी
1	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र भारत उप सरपंच नसीपुर	14.6.2016	ग्राम नसीपुर में वेयर हाउस बनाने वाली सोसायटी के प्रबंधक राधेश्याम शरणगत निवासी सरेखा टोला तह केवलारी द्वारा खनिज रेत का अवैध उत्थनन किये जाने की शिकायत	प्राप्त शिकायत के तारतम्य में खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.06.2016 को जांच हेतु दिया गया, खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.06.2016 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नसीपुर तहसील कदेलारी में 90 घ.मी. रेत का अवैध उत्थनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर 1,80,000.00 रु अर्थदण्ड प्रस्तावित किया । दिनांक 18.07.2016 को माननीय न्यायालय कलेक्टर भेजने की कार्रवाही की गई, कार्रवाही प्रचलित है।
2	श्री अद्या कपूर (जनसेवक) चाजपा युवा नेता	20.11.2016	महिलाएं कंपनी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से अन्य स्थान पर अवैध उत्थनन किये जाने की शिकायत	प्राप्त शिकायत के तारतम्य में खनि निरीक्षक को दिनांक 05.12.2016 को जांच हेतु पत्र दिया गया, जिसकी जाव खनि निरीक्षक द्वारा 24.01.2017 को जांच कर ग्राम कुरसरा के खेठों 01 के आशिक भाग से मात्र 102 घ0भी० का अवैध उत्थनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 25.01.2017 को रूपर 2,04,000.00 अर्थदण्ड जमा कराया गया है।
3	श्री अशोक शाहिल्य, जनपद सदस्य केवलारी	15.6.2017	ग्राम नसीपुर से अवैध रेत खनन का कार्य मशीनों से किये जाने की शिकायत	प्राप्त शिकायत के तारतम्य में खनि निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.06.2017 को जांच कर 49,50,000.00 रु अर्थदण्ड हेतु ग्राम नसीपुर के खेठों 313 का आशिक भाग पर खनिज रेत मात्र 1980 घ0 नौ० अवैध उत्थनन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनावेदक गणों को दिनांक 22.06.2017 को कानून वाताओं सूचना पत्र जारी किया गया, जिनका जवाब प्राप्ति प्रदर्शन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाही प्रचलित है।

  
कलेक्टर अधिकारी  
उत्थनन विभाग  
सरकारी भवन मुमुक्षु